Page: (1 to 2)

DATE: 16/09/2017

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT ~~& POLITICS~~)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO. -13 (THIRTEEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
~~D.B.~~ COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति (Quorum) न होने पर तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सामान्यतः ऐसा किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पाने की स्थिति में होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करने वाले न्यायाधीश को ही तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश बनने हेतु सम्बंधित न्यायाधीश से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, परन्तु इसके लिए निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करनी होगी —

(i) उसे सम्बंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा, जहाँ से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है।

(ii) उसे राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी।

इस प्रकार विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है।

Scanned with CamScanner

तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा, तब उसे वे सभी अधिकार, शक्तियाँ या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में प्रावधान है कि यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ है तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करेगा, जब तक मुख्य न्यायाधीश पुनः अपने पद को ग्रहण न कर ले।

अब तय हो चुका है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उस पद को सुशोभित करेगा।

संभावित प्रश्न :

सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों एवं किस प्रकार की जाती है?

Scanned with CamScanner